न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री तख्तसिंह पिता वक्तावरसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री शेरसिंह पिता वक्तावरसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. मु. छगन कुंवर बेवा करणसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री नाहरसिंह पिता वक्तावरसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री हरिसिंह पिता वक्तावरसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री सोहनसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री भूरसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री श्यामसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत के बजाय :–

   7/1– मु. श्याम कुंवर बेवा श्यामसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

   7/2– श्री पप्पू पिता श्यामसिंह जी राजपूत नाबालिग बविलायत माता श्रीमती श्याम कुंवर निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर

   7/3– सुश्री रवीना पिता श्यामसिंह जी राजपूत बविलायत माता श्रीमती श्याम कुंवर निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर

   7/4– सुश्री मूमल पिता श्यामसिंह जी राजपूत नाबालिग बविलायत माता श्रीमती श्याम कुंवर नि0 नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर

8. मु. लहर कुंवर बेवा मोहनसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) मावली दिनांक 29–12–2016
प्रकरण संख्या 77 / 2013(विविध प्रार्थना पत्र)

———/———

उपस्थित :–1– श्री के.आर डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–9

——————/——————

निर्णय **दिनांक 23–05–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा आदेश–9, नियम–13 जाब्ता दीवानी का एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में मुकदमा नंबर 33 / 2001 में दिनांक 21–3–2002 को प्रारम्भिक डिक्री तथा दिनांक 16–1–2003 को अंतिम डिक्री पारित की गई। प्रकरण में प्रार्थी की तामिल नहीं हुई है तथा दिनांक 17–3–2001 को उसके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही कर दी गई है। तामिल कुनिन्दा ने प्रार्थी के पास आया ही नहीं तथा उसने सम्मन लेने से इन्कार नहीं किया तथा चस्पा करने से भी मना नहीं किया। सम्मन पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है। प्रार्थी के विरूद्ध एक–तरफा आदेश 17–3–2001, एक–तरफा डिक्री दिनांक 21–3–20002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16–1–2003 निरस्त की जाय।

आवेदन के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे प्रकरण में सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 10–5–2013 को विपक्षी नंबर 1 के कब्जा हटाने की कहने पर हुई एवं अविलम्ब 14–5–2003 को उसके द्वारा एक–तरफा डिक्री अपास्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अप्रार्थी के

विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 29–12–2016 से आवेदन को बेरून मयाद मानते हुए खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–1–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट व जी.ए. की बहस सुनी गई व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने सुविचारित निर्णय में निम्नानुसार अंकन किया है :–

''उक्त नियमों के तहत प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा सम्मन की सूचना जरिये तामील कुलिन्दा के भेजी गई थी। जिस पर रिपोर्ट में तखत सिंह द्वारा लेने से इन्कार की रिपोर्ट की गई है लेकिन सम्मन पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में दिनांक 21–3–2002 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। लगभग 10 माह पश्चात पीडी पालना के आधार पर दिनांक 16–1–2003 को अंतिम डिक्री जारी की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14–5–2013 को प्रार्थना पत्र आदेश–9, नियम–13 प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा लगभग 10 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इतनी लम्बे विलम्ब का प्रार्थी द्वारा कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत पीडी पालना रिपोर्ट में बंटवाड़ा फहरिस्त में प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर रखे है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अतः इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता की प्रार्थी को बंटवाड़ा कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर प्रार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर है। अतः उक्त डिक्री को एकतरफा नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम में अंतिम डिक्री दिनांक 16–1–2003 से अब तक 10 वर्ष पश्चात् देरी स्पष्ट व पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद प्रतीत होता हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 5 देरी के समय को कण्डोन कराया

<u>जाने का प्रर्याप्त कारण के आधार पर नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है</u>''।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 10 वर्षो के विलम्ब को कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने तथा अपीलान्ट को पूर्व से प्रकरण की जानकारी होने के तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर अपीलान्ट के आवेदन में मयाद कण्डोन नहीं किये जाने के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–12–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर